"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016— पौष 21, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-167/2012/वाक/पांच (01). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम 5 एवं 6 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (पुनरीक्षित)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	मुख्यालय हेतु				
1.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर	01	प्रथम श्रेणी	रु. 37400-67000+ ग्रेड वेतन रु. 8900	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर	02	प्रथम श्रेणी	रु. 37400-67000+ ग्रेड वेतन रु. 8700	
3.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	02	-तदैव-	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 7600	
4.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर	06	-तदैव-	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 6600	
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर	04	द्वितीय श्रेणी	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 5400	
6.	प्रोग्रामर	05	-तदैव-	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 5400	

ख . मैदानी कार्यालय हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर	01	प्रथम श्रेणी	रु. 37400-67000+ ग्रेड वेतन रु. 8700	
2.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	10	-तदैव-	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 7600	
3.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर	20	-तदैव-	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 6600	
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर	68	द्वितीय श्रेणी	रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 5400	
5.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	121	-तदैव-	रु. 9300-34800+ ग्रेड वेतन रु. 4300	

अनुसूची-दो

(नियम 7 देखिए)

स. क्र.	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भरती द्वारा [नियम 7 (क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 7 (ख) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन रु. 8900)	01	-	100%
2.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन रु. 8700)	03	-	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	12	-	100%
4.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर	26	-	100%
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर	72	50%	50%
6.	प्रोग्रामर	05	-	100%
7.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	121	-	100%

अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए	

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिए)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्च पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन रु. 8700)	5 वर्ष	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन रु. 8900)	(1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति - **अध्यक्ष**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	5 वर्ष	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन रु. 8700)	(2) सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग - **सदस्य**	
3.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर	5 वर्ष	उपायुक्त वाणिज्यिक कर	(3) वाणिज्यिक कर आयुक्त - **सदस्य**	
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर	5 वर्ष	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर	(4) राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित सदस्य - **सदस्य**	
5.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	5 वर्ष	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर		
6.	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष	प्रोग्रामर		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 6-167/2012/वाक/पांच (01). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-167/2012/वाक/पांच (01), दिनांक 2-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 2nd January 2016

NOTIFICATION

No. F 6-167/2012/CT/V (01). — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh

Gazetted (Commercial Tax) Service Recruitment Rules, 1966, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Schedule-I,II,III and IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(See rules 5 and 6)

S. No.	Name of the post Included in the Services	Total Number of Posts	Classfication	Scale of Pay (Revised)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	FOR HEADQUARTER				
1.	Additional Commissioner of Commercial Tax	01	Class-I	Rs. 37400-67000+ Grade Pay Rs. 8900	
2.	Additional Commissioner of Commercial Tax	02	-do-	Rs. 37400-67000+ Grade Pay Rs. 8700	
3.	Deputy Commissioner of Commercial Tax	02	-do-	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs.7600	
4.	Assistant Commissioner Commercial Tax	06	-do-	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 6600	
5.	Commercial Tax Officer	04	Class-II	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 5400	
6.	Programmer	05	-do-	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 5400	
B.	FOR FIELD OFFICE				
1.	Additional Commissioner Commercial Tax	01	Class-I	Rs. 37400-67000+ Grade Pay Rs. 8700	
2.	Deputy Commissioner Commercial Tax	10	-do-	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 7600	
3.	Assistant Commissioner Commercial Tax	20	-do-	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs.6600	
4.	Commercial Tax Officer	68	Class-II	Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 5400	
5.	Assistant Commercial Tax Officer	121	-do-	Rs. 9300-34800+ Grade Pay Rs.4300	

SCHEDULE-II
(See rule 7)

S. No.	Name of Service	Number of Duty Post	Percentage of number of the Posts be filled in	
			By Direct Recruitment [See Rule 7(A)]	By Promotion [See Rule 7 (B)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Additional Commissioner of Commercial Tax (Grade Pay Rs. 8900)	01	-	100%
2.	Additional Commissioner of Commercial Tax (Grade Pay Rs. 8700)	03	-	100%
3.	Deputy Commissioner of Commercial Tax	12	-	100%
4.	Assistant Commissioner Commercial Tax	26	-	100%
5.	Commercial Tax Officer	72	50%	50%
6.	Programmer	05	-	100%
7.	Assistant Commercial Tax Officer	121	-	100%

SCHEDULE-III
(See rule 9)

S. No.	Name of Service/Posts	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Tax Officer	21 Years	30 Years	A candidate must hold a Graduation Degree by any recognized University	

Note :-- The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See rules 14 and 15)

S. No.	Name of Service or post from which promotion to be made	Minimum period required to qualifying for promotion to the next Higher Post	Name of Service or post to which promotion is to be made	Departmental Promotional Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Commissioner of Commercial Tax (Grade Pay Rs. 8700)	5 Years	Additional Commissioner of Commercial Tax (Grade Pay Rs. 8900)	(1) Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission or a member nominated by him- **Chairman**	
2.	Deputy Commissioner of Commercial Tax	5 Years	Additional Commissioner of Commercial Tax (Grade Pay Rs. 8700)	(2) Secretary Commercial Tax Department - **Member**	
3.	Assistant Commissioner Commercial Tax	5 Years	Deputy Commissioner of Commercial Tax	(3) Commercial Tax Commissioner - **Member**	
4.	Commercial Tax Officer	5 Years	Assistant Commissioner of Commercial Tax	(4) Member nominated by State Government - **Member**	
5.	Assistant Commercial Tax Officer	5 Years	Commercial Tax Officer		
6.	Assistant Programmer	5 Years	Programmer		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.